भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2888

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयला खनन परियोजनाओं हेतु पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति

2888. श्री काली चरण सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने हेतु इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित अपनी नीति की समीक्षा की गई है या इसमें संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार झारखंड के मगध और आम्रपाली में कोयला खनन परियोजनाओं द्वारा परियोजना-प्रभावित परिवारों को अपर्याप्त मुआवजे, विलंबित भुगतान, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित शिकायतों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) वर्तमान में कोयला खनन परियोजनाओं पर लागू मुआवजा नीति क्या है और भूमि के मूल्य का निर्धारण करने का आधार, मुआवजे का भुगतान, पुनर्वास लाभ, रोजगार, इस मद में प्रतिवर्ष की भुगतान राशि और विस्थापित परिवारों को अन्य सहायता क्या हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विलंबित या विवादित मुआवजे और पुनर्वास से संबंधित दर्ज किए गए मामलों की परियोजना-वार संख्या कितनी है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा कोयला खनन क्षेत्रों में समय पर मुआवजा, पारदर्शी भूमि अधिग्रहण, प्रभावी पुनर्वास और परियोजना-प्रभावित परिवारों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : वर्तमान में, कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी नीति को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) : झारखंड में मगध और आम्रपाली कोयला खानें कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के कमान क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

सीसीएल ने मगध और आम्रपाली कोयला खनन के परियोजना प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने, समय पर भुगतान, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) भूस्वामियों द्वारा दिए गए विकल्प को ध्यान में रखते हुए लागू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र भूस्वामियों को भूमि और परिसंपत्तियों के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। भूमि पर संरचनाओं/परिसंपत्तियों के लिए मुआवजा झारखंड सरकार की दरों की अनुसूची के अनुसार बिना किसी मूल्यह्रास के प्रदान किया जाता है जिससे भू-स्वामी को लाभ हो।

(ii) सीसीएल की विभिन्न खनन परियोजनाओं (मगध और आम्रपाली परियोजनाओं सहित) के साथ-साथ सीसीएल मुख्यालय में एक स्थापित शिकायत निवारण कार्यतंत्र मौजूद है जहां मुआवजे तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) लाभों से संबंधित शिकायतों, मामलों और अभ्यावेदनों का तत्काल निवारण किया जाता है। पूर्ववर्ती भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत किए गए अधिग्रहणों के मामलों का निपटान सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार किया जाता है।

(iii) रोजगार प्रदान करने सहित मुआवजा और आरएंडआर लाभ, जहां कहीं स्वीकार्य हो, निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने तथा अपेक्षित विधिक और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने पर तत्काल रूप से जारी किए जाते हैं। कुछ मामलों में, अधिकारों के रिकॉर्ड की अनुपलब्धता, राज्य प्राधिकारियों द्वारा भूमि रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण, अन्य दस्तावेजों के न होने आदि के कारण, भूमि मुआवजे के भुगतान में देरी हो सकती है।

(iv) सीसीएल ऐसे मुद्दों का समाधान शीघ्रता से करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन, राजस्व प्राधिकारियों और अन्य सक्षम एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

(ग) : भूमि का अधिग्रहण कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए अधिनियम, 1957) अथवा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के उपबंधों के तहत किया जाता है। भूमि के लिए मुआवजे की गणना, जिसमें सांत्वना राशि, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ शामिल हैं, और पुनर्स्थापन स्थलों में बुनियादी सुविधाएं और सहुलियत आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II और III के अनुसार या सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा -14 (1) के तहत आपसी सहमति से हुए करार के अनुसार, जो भी अधिक फायदेमंद हो, प्रदान की जाती हैं। सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा भूमि की सीधी खरीद के मामले में, मुआवजे और अन्य लाभों पर आपसी सहमति से सीधे बातचीत की जाती है और सहायक कंपनी के नाम पर बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है।

सीआईएल की वर्ष 2012 की आरएंडआर नीति के प्रावधानों के अनुसार पात्र भूस्वामियों को रोजगार और अन्य आरएंडआर लाभ प्रदान किए जाते हैं। सीआईएल की सहायक कंपनी महानदी

कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा की आरएंडआर नीति, 2006 का अनुपालन करती है। परियोजना प्रभावित व्यक्ति रोजगार के बदले सीआईएल वार्षिकी स्कीम, 2020 के तहत वार्षिकी का विकल्प चुन सकते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, प्रभावित परिवारों को अन्य स्वीकार्य लाभ प्रदान किए जाते हैं जैसे कि स्थानांतरण संबंधी सहायता, सीएसआर के तहत कौशल विकास और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को गैर-कृषि स्वरोजगार और ठेकेदार के साथ रोजगार तथा अन्य सहायक उपायों के लिए प्रोत्साहित करना।

(घ) : पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को चरणबद्ध रूप से विधिवत लाभों के भुगतान के बाद ही भूमि का कब्जा लिया जाता है। मुआवजे का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है और कब्जे वाली भूमि के लिए मुआवजे से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है। कुछ मामलों में, अधिकारों के रिकॉर्ड की अनुपलब्धता, राज्य अधिकारियों द्वारा भूमि रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण, अन्य दस्तावेजों की कमी आदि के कारण, भूमि मुआवजे के भुगतान में देरी हो सकती है। कुछ मामलों में, जहां भूमि/भूखंड के सह-हिस्सेदारों के बीच मुआवजा राशि के बंटवारे, पारिवारिक मुद्दों आदि के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं, तो पात्र भूस्वामियों को संवितरण के लिए सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 17(2) के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे की राशि न्यायाधिकरण में जमा की जाती है।

(ङ) : कोयला खनन क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित परिवारों की शिकायतों का समय पर मुआवजा, पारदर्शी भूमि अधिग्रहण, प्रभावी पुनर्वास और शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं -

(i) दस्तावेजों के सत्यापन सहित सांविधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पात्र भूस्वामियों को लागू नीति और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के तुरंत बाद मुआवजा संवितरित किया जाता है।

(ii) समय पर संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज, समाचार पत्रों में नोटिस के प्रकाशन और अन्य उपयुक्त संचार चैनलों के माध्यम से मुआवजे तथा अन्य पात्र लाभों के भुगतान के संबंध में सूचना प्रसारित की जाती है। इच्छुक भूस्वामियों को अपने दावे और आपत्तियां, जहां कहीं भी लागू हो, प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है।

(iii) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान जिला प्रशासन के समन्वय से संस्थापित शिकायत निवारण कार्यतंत्र के अंतर्गत उनके साथ निरंतर संपर्क में रहकर, ग्राम प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से किया जाता है।
